भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 960
उत्तर देने की तारीख 08 फरवरी, 2021
सोमवार, 19 माघ, 1942 (शक)

कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए निधियां

†960	**श्री रवि किशन:**	**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**	**श्री मनोज तीवारी:**
	श्री सुब्रत पाठक:	**श्री उपेन्द्र सिंह रावत:**	**श्री बिद्युत बरन महतो:**
	श्री चंद्र शेखर साहू:	**श्री संजय सदाशिवराज मांडलिक:**	**श्री सुधीर गुप्ता:**

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्योरा क्या है और राज्य में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या सहित विभिन्न योजनाओं के तहत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को आवंटित निधि का ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किए गए बजटीय आवंटन का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कौशल विकास के लिए बेरोजगार युवाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार ने कौशल विकास प्रदान करने में उपलब्धि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राज कुमार सिंह)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के अंतर्गत स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को इसकी शुरूआत से जनवरी 2021 तक 7115 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृत की गई है। पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के दो घटक नामत: केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) और केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) हैं। पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत राज्यवार निधियों का आवंटन करने का प्रावधान है। जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम को निरक्षर/नवसाक्षरों के व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान में सुधार करने के उद्देश्य से देश में संस्थागत ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) प्रारंभ की है, जो शिक्षुता प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और शिक्षुओं के नियोजन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एमएसएमई सहित अधिकतम प्रतिष्ठानों तक पहुंचने के विशेष प्रयास करती है। सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20), जेएसएस और एनएपीएस के अंतर्गत संवितरित निधि का राज्यवार ब्योरा **अनुबंध के कॉलम (क)** में दिया गया है।

(घ) पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) (सीएससीएम+सीएसएसएम), जेएसएस और एनएपीएस के अंतर्गत लाभांवित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध के कॉलम (ख)** में दी गई है।

(ड.) पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के अंतर्गत देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। 19.01.2021 की स्थिति के अनुसार देशभर में 1.07 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/अभिमुख किया गया है। इसके अलावा, मांग संचालित आशोधित पीएमकेवीवाई स्कीम अर्थात पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-21) को देशभर में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 15.01.2021 को प्रारंभ किया गया है।

अनुबंध

पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20), जेएसएस और एनएपीएस के अंतर्गत संवितरित निधि तथा लाभार्थी उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्योरा नीचे दिया गया है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संवितरित निधि (क)			प्रशिक्षित उम्मीदवार (ख)		
	सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई 2.0 (जनवरी 21 तक) (रुपए में)	एनएपीएस (2016-20 से 20-21 -जनवरी 21 तक) (करोड़ में)	जेएसएस (2018-19 से 20-21 - अगस्त 20 तक) (रुपए में)	सीएससीएम तथा एसएसएसएम - पीएमकेवीवाई 2.0	शिक्षुओं की सं.	जेएसएस (2018-19 से 20-21 - जनवरी 20 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,10,94,164	0		2,462	0	
आंध्र प्रदेश	54,92,66,464	11.532	6,27,80,766	2,88,370	33,324	16,683
अरुणाचल प्रदेश	14,42,49,768	0	65,25,000	67,839	0	726
असम	36,95,32,800	0	5,39,22,411	6,21,930	7,664	13,659
बिहार	36,81,62,449	0.157	11,44,19,724	4,52,919	4,201	35,701
चंडीगढ़	6,15,88,800	0.104	90,15,773	18,197	1,407	2,694
छत्तीसगढ़	35,57,76,000	0.071	6,46,22,934	1,10,433	12,303	19,567
दिल्ली	15,39,72,000	0.43	2,92,69,765	3,58,277	15,541	8,225
गोवा	10,70,25,937	0.022	1,06,33,720	6,845	1,932	2,874
गुजरात	46,94,93,826	30.912	10,23,75,336	3,28,356	1,98,675	27,786
हरियाणा	36,56,99,375	15.479	4,93,85,867	5,23,106	1,06,092	13,745
हिमाचल प्रदेश	21,55,60,800	0.24	59,25,000	1,06,608	11,737	3,124
जम्मू और कश्मीर	22,94,18,280	0.1	1,61,47,336	2,54,382	2,243	5,047
झारखंड	29,59,64,978	1.744	2,43,85,697	2,62,045	26,688	7,992
कर्नाटक	21,43,95,135	4.082	8,33,29,296	4,13,738	65,479	26,812
केरल	22,00,25,988	1.298	8,78,78,194	2,26,789	23,716	23,387
लद्दाख	0	0	0	2,267	0	0
लक्षद्वीप	1,23,17,760	0	0	150	0	0
मध्य प्रदेश	27,32,80,576	4.734	27,38,01,656	6,51,665	33,297	78,951
महाराष्ट्र	85,77,62,615	19.768	20,52,82,890	9,88,847	2,19,201	59,878
मणिपुर	32,59,88,939	0	3,02,56,624	75,946	11	7,522
मेघालय	12,77,96,760	0	0	37,726	73	0
मिजोरम	22,12,73,161	0	0	24,647	0	0
नागालैंड	25,44,76,980	0	84,25,000	31,323	0	2,500
ओडिशा	27,71,49,600	0.966	16,43,98,775	4,55,033	19,965	45,136
पुडुचेरी	11,34,51,280	0.251		18,894	2,382	
पंजाब	40,39,52,000	1.85	1,95,44,859	3,40,522	13,755	5,001
राजस्थान	26,19,35,789	3.97	4,91,19,636	9,09,477	18,381	13,351
सिक्किम	4,77,31,320	0.144		10,281	142	
तमिलनाडु	68,86,21,440	10.409	6,85,56,432	5,20,389	59,126	19,566
तेलंगाना	31,54,64,472	2.398	6,02,91,609	2,77,484	37,019	20,526
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4,11,10,524	0.231	1,02,23,272	10,119	795	2,172
त्रिपुरा	22,80,06,870	0.001	80,72,037	1,17,731	1,418	2,555
उत्तर प्रदेश	52,26,00,000	9.429	46,89,89,445	15,87,314	89,275	1,31,090
उत्तराखंड	52,50,78,040	2.609	5,75,96,198	2,16,544	13,639	17,858
पश्चिम बंगाल	38,04,64,812	1.902	7,80,85,550	3,77,427	15,489	20,863
कुल	**10,01,96,89,702**	**124.833**	**2,22,32,60,802**	**1,06,96,082**	**10,34,970**	**6,34,991**

****